उत्पन्न कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहा है। यह सब भाषा का ही प्रभाव है।

8. भाषा समाज को अनुशासित रखती है—भाषा द्वारा समाज में अनुशासन भी स्थापित किया जाता है। यदि समाज का कोई व्यक्ति समाज में रहकर समाज विरोधी कार्य करता है तो समाज के गणमान्य व्यक्ति या पूरा समाज उसकी कड़ी आलोचना करता है या उसे समाज से बहिष्कृत कर देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चाहते हुए भी आलोचनाओं और अपवादों से बचने के लिए समाज विरोधी कार्य नहीं करता, जिससे समाज में अनुशासन स्थापित रहता है। अतः स्पष्ट है कि समाज और भाषा में गहरा सम्बन्ध है।

भाषा और पहचान

भाषा मुख्य रूप से मानव का एक संस्कार है। भाषा को पारिवारिक एवं सामाजिक पर्यावरण से सरलता से क्षमता एवं अनुकरण द्वारा अर्जित करते हैं। परम्परा उसे पुष्ट एवं अर्जित करती है। साथ ही संस्कृति की सजगता से भाषा मुखर हो उठती है। इसीलिए भाषा-भाव सम्प्रेषण का मात्र स्थूल साधन न होकर किसी भी समाज एवं राष्ट्र की संस्कृति को युगों तक जीवित बनाये रखने में सक्षम है और इसीलिए भाषा सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम भी है एवं संस्कृति की रक्षक भी है। यही कारण है कि प्रत्येक स्वाभिमानी स्वतन्त्र एवं समुन्नत राष्ट्र की अपनी स्वयं की एक राष्ट्रभाषा अवश्य होती है जो उसकी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान होती है तथा इसी से राष्ट्र की धारा विकासशील होती है।

आधुनिक विद्वान **राबर्ट लैडो** भी भाषा की महत्ता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि "भाषा का गहन सम्बन्ध मानव की अनुभूतियों तथा क्रियाओं से है। इसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति कार्य, पूजा अथवा खेल में करता है, चाहे वह भिखारी हो अथवा पूँजीपति, चाहे जंगली हो अथवा सभ्य।" मनुष्य अभिव्यक्ति एवं ज्ञानार्जन के लिए भाषा पर ही निर्भर रहता है। कहा जा सकता है कि समस्त मानवीय गुणों का विकास भाषा के माध्यम से ही होता है। आज का वृहत् समाज, ज्ञान-विज्ञान के विविध क्षेत्रों का विकास, आध्यात्मिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक उत्थान के मूल में भाषा की शक्ति ही विद्यमान है। भाषा व्यक्ति एवं समाज को सही दिशा-निर्देशन करती है। भाषा के माध्यम से ही बालक श्रेष्ठ जनों से विचार-विमर्श करता है और सही-गलत का चुनाव करता है।

जिस प्रकार बालक अपने क्रमिक विकास में चलना सीखने से पहले कभी गिरता है, लड़खड़ाता है फिर अच्छे से चलना सीख जाता है, उसी प्रकार बालक का भाषायी विकास होता है। पहले कुछ बलबलाता है फिर तुतलाता है तत्पश्चात् अच्छे से बोलना सीख जाता है। जब बालक अच्छे से भाषा का ज्ञान अर्जित कर लेता है तब उसमें आत्मविश्वास जाग्रत हो जाता है जिससे वह अपने विचारों को सरलता से सहजतापूर्वक दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। जिन वस्तुओं एवं विषयों में बालकों को अधिक रुचि होती है, उनके विषय में प्रायः वह बहुत सारी जानकारी एकत्र कर लेते हैं और बातचीत भी करते हैं। इस प्रकार आरम्भ में ही बालक को स्वाभाविक रूप से अपने विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का अवसर प्राप्त होता है और बालकों द्वारा भाषा को गतिशीलता प्रदान करने का समय मिलता है।

यदि बालक बातचीत द्वारा अपने विचारों एवं भावनाओं को भली-भाँति व्यक्त कर पाता है तो वह अच्छी प्रकार प्रवाहयुक्त लिख भी सकता है। आत्म-अभिव्यंजना का यह प्रारम्भिक स्वरूप आगे चलकर बालक को कुशल वक्ता एवं कुशल लेखक, साहित्यकार बनने में सहायक सिद्ध हो सकता है। वक्ता, लेखक एवं साहित्यकार बनने पर बालक अपनी भाषा का विकास तो करेगा साथ ही वह समाज में अपनी एक अच्छी पहचान भी बना सकेगा। कभी-कभी प्रारम्भिक अवस्था से ही प्रयास करने पर बालक बहुत बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करता है। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने पाँच वर्ष की अवस्था में एक कविता लिखी थी, आगे चलकर उन्होंने 'गीतांजलि' लिखकर सम्पूर्ण विश्व में अपनी पहचान बनायी।

व्यक्तिगत पहचान अर्जित कराने के साथ ही भाषा बालक को उसके पूर्वजों के इतिहास की भी पहचान कराती है। यदि भाषा नहीं होती तो विश्व के किसी भी विषय की शिक्षा प्राप्त करना आसान नहीं होता, क्योंकि हम कोई भी ज्ञान-विज्ञान सीखते हैं, उसके सीखने का माध्यम तो भाषा ही होती है। बालक गणित को गणित की तरह नहीं सीख सकता, उसे गणित सीखने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ेगी ही। भाषा के अभाव में इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, विज्ञान आदि विषयों का ज्ञानार्जन सम्भव नहीं था। विभिन्न विषय बालक को उसकी मानव विकास की प्रारम्भिक अवस्था की पहचान कराते हैं। हमने कहाँ से कहाँ तक विकास किया। आज मानव इस श्रेष्ठ स्थिति में कितने चरणों से गुजरता हुआ आया है। इन सभी बातों की पहचान भाषा के माध्यम से ही प्राप्त होती है।

भाषा के माध्यम से ही बालक विभिन्न संस्कृतियों की पहचान करता है। भाषा अनेक प्रकार की पहचान का ज्ञान कराने में सक्षम है। भाषा द्वारा ही बालक अपनी प्राचीन संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करता है, उसे सुरक्षित रखता एवं हस्तान्तरित भी वह भाषा के माध्यम से ही करता है।

भाषा और पहचान दोनों में गहरा सम्बन्ध है। भाषा व्यक्ति को समाज में स्थापित करती है और उसे योग्यतानुसार पहचान भी प्रदान करती है। बालक या व्यक्ति एवं समाज को उसकी पहचान दिलाने में भाषा अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भाषा और शक्ति

मानव जिस शक्ति से प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है वह शक्ति भाषा की ही शक्ति है। संसार के अन्य प्राणियों के पास अपनी-अपनी भाषाएँ हैं, किन्तु उनके पास विचार नहीं हैं। विचार-प्रधान भाषा केवल मानव के पास ही है। अन्य प्राणी जो भाव व्यक्त करते हैं, वे अस्थायी

होते हैं, किन्तु मानव के भावों में स्थायित्व होता है। मानव अपने पूर्वजों के भाव, विचार तथा अनुभवों को सुरक्षित रखने एवं हस्तान्तरित करने में भाषा के माध्यम से ही सफल हुआ है।

रायबर्न ने लिखा है—''बौद्धिक विकास, ज्ञान वृद्धि, आत्माभिव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास ज्ञान के बिना असम्भव है। भावात्मक जीवन का विकास भी भाषा शिक्षा पर ही निर्भर है। व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के लिए साहित्य एवं कविता का रागात्मक प्रभाव अत्यन्त आवश्यक है।''

आचार्य दण्डी ने भी भाषा की शक्ति को स्वीकार करते हुए कहा है—''यदि शब्दरूपी ज्योति संसार में प्रकाशित न होती तो यह सारा त्रैलोक्य गहन अन्धकार में डूब जाता।''

भाषा ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति में अनेक प्रकार की शक्तियों का विकास होता है, जो निम्न प्रकार हैं—

1. विचार शक्ति का उदय—भाषा के माध्यम से व्यक्ति विचार करता है, अपने विचारों को परिष्कृत करता है, अपने विचारों से दूसरों को अवगत कराता है और साथ ही दूसरे के विचारों से लाभान्वित भी होता है।

2. सृजनात्मक शक्ति का विकास—भाषा के माध्यम से ही मानव में सृजनात्मकता का विकास होता है। मानव अपने मौलिक विचारों को भाषा के मोतियों की लड़ियों में पिरोकर उनकी अभिव्यक्ति करता है और अपनी रचनात्मकता को एक दिशा प्रदान करता है। रचनात्मक शक्ति के विकास में भाषा अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

3. मानसिक शक्ति का विकास—भाषा मन-मस्तिष्क को भी बल प्रदान करती है। भाषा का उत्तम प्रयोग शब्द-भण्डार में वृद्धि एवं अन्य प्रकार का बहुत सारा ज्ञान व्यक्ति भाषा द्वारा अर्जित करता है, जिससे उसके मस्तिष्क को शक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार भाषा मानसिक शक्ति के विकास में सहायक है। **जी. एस. थामसन** के अनुसार—''मूक और बधिर बालक परीक्षाओं में सफल नहीं होते, क्योंकि उनके पास भाषा की शक्ति नहीं होती।'' अर्थात् भाषा के अभाव में बुद्धि अधिक सक्रिय नहीं हो पाती। **एनी बेसेण्ट** के अनुसार, ''मातृभाषा द्वारा शिक्षा न देने की स्थिति ने निश्चित रूप से भारत देश को विश्व के सभ्य देशों में अति अज्ञानी बना दिया है। इसी कारण देश में उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों की संख्या न्यून तथा अशिक्षितों की संख्या सबसे अधिक है।''

4. चारित्रिक शक्ति का विकास—भाषा द्वारा व्यक्ति को नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसको वह ग्रहण करता है और साथ ही उसका अनुसरण भी करता है, जिससे उसके अन्दर उत्तम चारित्रिक शक्तियों का विकास होता है। **माइकेल बेस्ट** ने कहा है कि ''भाषा का महत्व बौद्धिक रचना में ही नहीं, अपितु चरित्र-निर्माण में भी है। विदेशी भाषा का साहित्य हमारे हृदय के भावों को इतना उद्वेलित नहीं कर पाता जितना मातृभाषा का, क्योंकि मातृभाषा के साहित्य में हमारा गहरा सांसारिक सम्बन्ध होता है।''

5. आत्मविश्वास का विकास—उत्तम और सरस भाषा का प्रयोग करने से बालक में आत्मविश्वास का विकास होता है। आत्मविश्वास वह आन्तरिक शक्ति है जिसके विकसित होने के पश्चात् संसार का मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। जिस बालक में आत्मविश्वास का अभाव है वह चाहे कितना भी शरीर से पुष्ट हो, किन्तु उसकी अभिव्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकती और वहीं पर एक दुबला-पतला बालक जो आत्मविश्वास से परिपूर्ण है, उसकी अभिव्यक्ति कहीं अधिक शक्तिशाली होगी।

8

भाषा और लिंग
(Language and Gender)

भाषा का शुद्ध प्रयोग एक कला है। इसके लिए चार कौशलों की आवश्यकता होती है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इन चारों कौशलों से भाषा में शुद्धता आती है। शुद्ध भाषा सिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान और उसका प्रयोग मुख्य आधार हैं। व्याकरण के सिद्धान्तों की अपेक्षा उसके नियमों-उपनियमों का ज्ञान अच्छी तरह से होना चाहिए। अपनी मातृभाषा को व्यक्ति बिना किसी सिद्धान्त, नियम-उपनियम के सीख जाता है, परन्तु भाषा के विभिन्न कौशलों में शुद्धता नहीं आती है। किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसके नियमों-उपनियमों का ज्ञान व प्रयोग आवश्यक है। प्रत्येक भाषा में नियम व उसके उपनियम भिन्न होते हैं।

भाषा एक महान भक्ति है। इसका सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकते हैं। देश एवं काल के कारण उसमें प्रतिक्षण प्रत्येक स्थान पर परिवर्तन की आशा रहती है। शारीरिक-मानसिक भिन्नता के कारण भी उसका स्वरूप परिवर्तित होता रहता है। यदि विभिन्न नियमों-उपनियमों, सिद्धान्तों द्वारा उसको स्थिरता न प्रदान की जाये तो भाषा की उपादेयता, महत्व तथा स्वरूप ही समाप्त हो जायेगा। इसीलिए भाषा के शीघ्र परिवर्तन को स्थगित करने के लिए व्याकरण के कुछ सिद्धान्तों और नियमों के द्वारा उस पर अनुशासन कर दिया गया है, परन्तु व्याकरण के विभिन्न सिद्धान्त, नियम-उपनियम भाषा पर अनुशासन मात्र ही करते हैं शासन नहीं। व्याकरण के नियम भाषा का सृजन नहीं, उसको परिष्कृत ही करते हैं।

पतंजलि ने अपने महाभाष्य में व्याकरण को 'शब्दानुशासन' कहा है। यह भाषा का शासक न होकर अनुशासक है अर्थात् इसके द्वारा भाषा को व्यवस्थित किया जा सकता है। **डॉ. स्वीट** के अनुसार, व्याकरण भाषा का व्यावहारिक रूप है।

लिंग ज्ञान और उसके शुद्ध प्रयोग भी व्याकरण के अन्तर्गत ही प्रयोग किये जाते हैं। यदि लिंग का ज्ञान और उसका शुद्ध प्रयोग व्यक्ति को नहीं आता है तब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि उसकी भाषा में अनेक त्रुटियाँ व्याप्त होंगी। लिंग संज्ञा की कोटि में आते हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही संज्ञा के विभिन्न रूपान्तर होते हैं, जैसे—बालक, बालिका। उक्त उदाहरण